आईसीडीएस मिशन की

संस्थागत व्यवस्था

भाग 2

मातृ सुधा

हमसे मिलें @ www.matrisudha.org

अनुक्रमणिका

आईसीडीएस मिशन कि संस्थागत व्यवस्था 2
केन्द्रीय स्तर 3
राज्य स्तर 5
जिला स्तर 7
ब्लॉक / परियोजना स्तर 8
गाँव / वार्ड स्तर 10

आईसीडीएस मिशन कि संस्थागत व्यवस्था

आईसीडीएस संस्थागत व्यवस्था देश में पोषण के लिए संस्थागत प्रक्रिया के साथ तालमेल से काम करेगा। आईसीडीएस मिशन के तहत सभी स्तरों पर पोषण परिषदों के प्रस्तावित संबंध के साथ संस्थागत व्यवस्था पर विहंगम दृष्टि निम्न अनुसार डाली गई है–

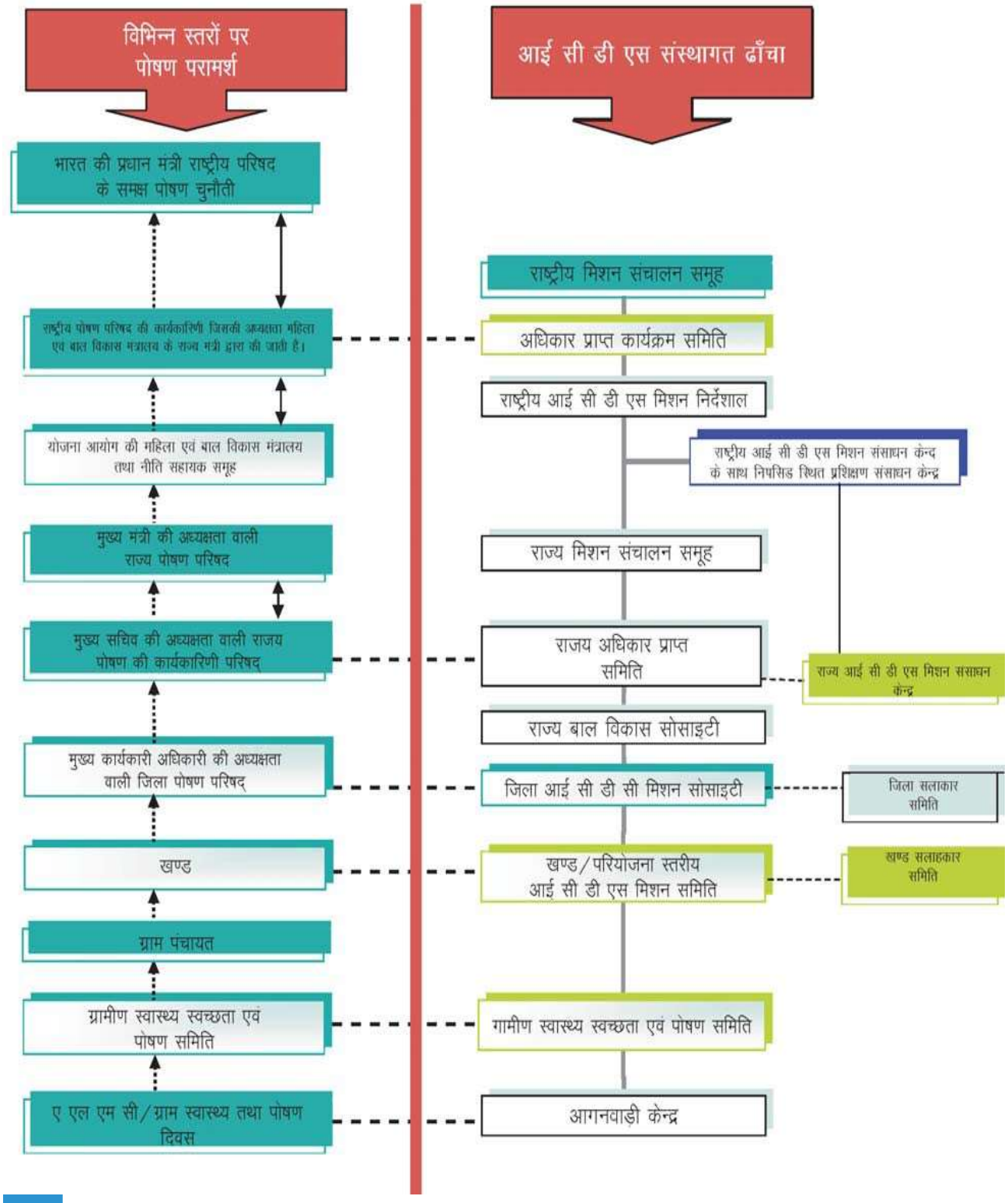

केन्द्रीय स्तर

पुर्नसंरचित आईसीडीएस स्कीम के मिशन मोड़ में कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्रीय पाइंट बना रहेगा। यह मंत्रालय निम्नलिखित के लिए अपनी भूमिका निभाता रहेगा –

i. नीतियां और कार्यक्रम बनाना, राज्यों का मार्गदर्शन करना ताकि वे कार्यक्रम का और अधिक प्रभावी कार्यान्वय को योग्य बन सकें
ii. आईसीडीएस स्कीम का पर्यवेक्षण और मानीटरण ;विकेन्द्रीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से प्रभावी हस्तक्षेपों के लिए ढांचा विकसित करना और
iii. बाल संबंधी परिणामों को प्राप्त करने के लिए सिविल सोसाइटी और सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों को शामिल करते हुए सभी पणधारियों के साथ साझेदारी विकसित करना।

केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेपों का जोर

- सभी स्तरों पर क्षमता विकास की सहायता,
- मानीटरिंग और मूल्यांकन,
- सुधारों और जवाबदेही के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धी और सर्वोत्तम राष्ट्रीय और
- अर्न्तराष्ट्रीय व्यवहारों की आदान प्रदान पर रहेगा।

राष्ट्रीय मिशन स्टीयरिंग समूह (एनएमएसजी)

कार्यकारी

1. महिला और बाल विकास राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2. सदस्य, महिला और बाल विकास योजना आयोग	उपाध्यक्ष
3. 5 क्षेत्रों के मंत्री बारी बारी से	सदस्य
4. सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
5. सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय	सदस्य
6. संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
7. संगत मंत्रालयों/विभागों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति, कृषि ओर खाद्य के सचिव	सदस्य
8. 5 क्षेत्रों (किन्तु भिन्न–भिन्न राज्यों) के मुख्य सचिव, बारी बारी से	सदस्य
9. संगत क्षेत्रों (5) के विशेषज्ञ सहयोजित किया जाएगा	सदस्य
10. मिशन निदेशक–सदस्य सचिव और संयोजक	सदस्य

राष्ट्रीय मिशन स्टीयरिंग समूह की छह माह में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी –

- आईसीडीएस स्कीम के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का अनुमोदन।
- विभिन्न विभागों के बीच नीति और प्रशासन का प्रभावी संकेन्द्रण सुनिश्चित करना।
- आईसीडीएस मिशन की अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को नीतियों पर सलाह देना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- परिणामों की समीक्षा करना और नीति निर्माण में अपेक्षित हो सकने वाले मध्यावधिक सुधारों के सुझाव देना।
- प्रस्तावों और स्कीमों के संबंध में ईपीसी की सिफारिशों के बारे में जानकारी देना और व्यापक नियामक ढाँचे के आधार पर भाड़े पर बुलाने के लिए ईपीसी की सिफारिशों की जानकारी देना और उन्हें अनुमोदित करना।
- आईसीडीएस मिशन के अंतर्गत् कार्यकलापों के संचालन के लिए विशेषज्ञों और कार्मिकों को संविदा आधार पर भाड़े पर बुलाने के लिए ईपीसी की सिफारिशों की जानकारी देना और उन्हें अनुमोदित करना।
- समय–समय पर आईसीडीएस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार संचालन संबंधी तौर–तरीके में संशोधन करना।
- इस योजना के लक्ष्य समूह को प्रभावित करने वाली नीतिगत जटिलताओं से जुड़े अन्य विषय।

अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (ईपीसी)

कार्यकारी

1. सचिव, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2 . वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य

3 . संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	सदस्य
4 . संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार महिला वबाल विकास मंत्रालय	सदस्य
5 . संगत मंत्रालयों/विभागों जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,मानव संसाधन विकास, पेय जल और स्वच्छता, पंचायती राज, खाद्य, ग्रामीण विकास के प्रतिनिधि	सदस्य
6 . निदेशक, निपसेड	सदस्य
7 . संयुक्त सचिव (प्रभारी) सबला, महिला व बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
8 . पांच क्षेत्रों के राज्यों के सचिव, बारी–बारी से	सदस्य
9 . निदेशक, एनआईएन	सदस्य
10. मिशन निदेशक	संयोजक

ईपीसी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जाएगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी –

i. वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिशन कार्यकलापों और कार्यक्रमों की योजना और मानीटरण
ii. नियम और प्रक्रिया बनाना और उसे अनुमोदन के लिए एनएमएसजी के समक्ष पेश करना
iii. राज्य/जिला स्तरीय आईसीडीएस योजनाओं के लिए योजना, कार्यान्वयन और मानीटरण में राज्य आईसीडीएस मिशन को सहयोग प्रदान करना
iv. एपीआईपी को अनुमोदन करने के साथ–साथ अनुमोदित स्कीमों/व्यय की मदों के मानदण्डों का आईसीडीएस मिशन/महिला और बाल विकास मंत्रालय के समग्र बजट के अंतर्गत् उपान्तरण करना
v. आईसीडीएस मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, समय–समय पर आवश्यकतानुसार संचालन संबंधी और तौर–तरीकों में संशोधन करना
vi. पीछे रह गए राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण परिणामों की प्रगति की गति का पता लगाना और सहयोग कार्रवाई करना
vii. मिशन स्टीयरिंग समूह के अनुमोदन के लिए कार्यक्रम, कार्मिकों और बजट आदि के बारे में सिफारिशें करना
viii. आईसीडीएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना
ix. व्यापक अनुमोदित ढाँचे के अंतर्गत् योजनाओं को अनुमोदित करना
x. राज्य अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा सिफारिश की गई नई परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करना
xi. प्रशिक्षण, समर्थन और आईईसी, एमआईसी और मूल्यांकन सहित मानीटरण संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना
xii. प्रभावकारी विकेन्द्रीकृत कार्यकरण के लिए राज्य ईपीसी को सलाह और सहयोग प्रदान करना

राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन निदेशालय

भूमिका एवं जिम्मेदारिया

(i) मिशन कार्यकलापों के लिए योजना, कार्यान्वयन और मानीटरण को संचालित करना
(ii) आसीडीएस स्कीम की योजना और प्रभावी कार्यान्वयन
(iii) पिछड़ गए राज्यों/उच्च भार वालें जिलों की स्थिति का विश्लेषण करके परिणामों की प्रगति का पता लगाना और सहयोग कार्रवाई करना
(iv) राष्ट्रीय मिशन कार्य संचालन समूह/अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित/प्रत्यायोजित कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां का प्रयोग करना
(v) मूल्यांकन कराना, संचालन अनुसंधान कराना, स्वतंत्र अध्ययन कराना ताकि प्रगति का मूल्यांकन हो सके और यदि आवश्यक है तो मध्यकालिक सुधारात्मक उपाय करना
(vi) स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ही आपूर्ति, अवसंरचना निविष्टियों और अन्य संसाधनों के प्रबंध के लिए एनआरएचएम,एसएसए, टीएससी, मनरेगा महत्वपूर्ण सैक्टर स्तरीय मंत्रालयों/कार्यक्रमों के साथ प्रभावी संचालन संबंधी समन्वयः और जुड़ाव सुनिश्चित करना
(vii) आईसीडीएस मिशन के अधीन राज्य योजनाओं की जानकारी देना और एनएमएसजी/ईपीसी के अनुमोदन के लिए कार्रवाई करना
(viii) राज्यों/सं.शा. प्रदेशों के प्रशासनों की क्षमताएं सुधारने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करना ताकि कार्यक्रम की योजना और उसका कार्यान्वयन होने के साथ ही राज्य मिशन निदेशालयों को बौद्धिक सहयोग प्राप्त हो सके
(ix) आईसीडीएस मिशन के घोषित उद्देश्यों को प्राप्तः करने के लिए समर्थन और सार्वजनिक शिक्षा (आईईसी) सुनिश्चित करना
(x) संबंधित संयुक्त सचिव के माध्यम से एफएनबी और निपसेड प्रशासन के कार्यों का पर्यवेक्षण और उसकी समीक्षा करना
(xi) पूरे देश में आईसीडीएस के प्रभावी मानीटरण और पर्यवेक्षण के लिए पैरामीटर और उपकरण विकसित करना
(xii) समय–समय कार्यक्रम का मानीटरण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना

(xiii) राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केन्द्र, निपसेड और उसके क्षेत्रीय केन्द्रों, एफएनबी और राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के अन्य संगत प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करना

(xiv) संस्थागत क्षमता विकास सुकर करना, राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केन्द्र के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और उसकी समीक्षा करना।

(xv) कन्ही लम्बित मुद्दों जिन्हें हल किया जाना या एनएमएसजी को संदर्भित किया जाना जरूरी है के बारे में ईपीसी को प्रगति से अवगत कराना

(xvi) एनएमएसजी/ईपीसी/महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य

राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केन्द्र

- एक राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन संसाधन केन्द्र की स्थापना निपसेड में की जाएगी जो तकनीकी सहायता और प्रचार और आईसीडीएस स्कीम के कार्यान्वयन
- यह संसाधन केन्द्र मिशन निदेशालय को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- ये समूह, जिसमें भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के पेशेवर, संस्थाएं, स्वैच्छिक एजेंसियां शामिल होंगे, रणनीतियां विकसित करने और क्षमता निर्माण कार्यकलापों में सहायता करेगी।
- राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य, जिला संसाधन संस्थाओं का नेटवर्क बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगी।

राज्य स्तर

राज्य मिशन कार्य संचालन समूह (एसएमएसजी)

इसका गठन निम्नलिखित रूप में होगा :–

मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
राज्य में महिला और बाल विकास के प्रभारी मंत्री	उपाध्यक्ष
मुख्य सचिव	कार्यकारी उपाध्यक्ष
संगत राज्य विभागों के सचिव	सदस्य
राष्ट्रीय आईसीडीएस मिशन निदेशालय के प्रतिनिधि	सदस्य
खाद्य और अनुपोषण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
निपसेड के क्षेत्रीय निदेशक	सदस्य
दो/तीन जिलों से जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट, बारी बारी से	सदस्य
चार से छह गैर–सरकारी विशेषज्ञ, जननी समिति और स्वैच्छिक एजेंसी	सदस्य
प्रधान सचिव/सचिव (आईसीडीएस के प्रभारी)	सदस्य सचिव और संयोजक

राज्य मिशन कार्य संचालन समूह की तीन माह में कम से कम एक बार बैठक होगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी –

i. प्रस्तावों और स्कीमों की जानकारी देना और उन्हें विस्तृत मानदण्डों पर अनुमोदित ढांचे के अनुसार अनुमोदित करना
ii. आईसीडीएस मिशन के लिए वार्षिक राज्य कार्रवाई योजना पर विचार और उसकी अनुमोदन
iii. वार्षिक कार्रवाई योजना और बाल संबंधी परिणामों की उपलब्धि की जानकारी और उसका अनुमोदन
iv. राज्य मिशन रणनीति प्रारूप ढांचे में वांछित किसी मध्यकालिक संशोधन का सुझाव देना
v. विभिन्न विभागों के बीच नीति और प्रशासन के प्रभावी संकेन्द्रण को सुनिश्चित करना
vi. राज्य आईसीडीएस मिशन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना
vii. राज्य में आईसीडीएस के लिए संस्थागत प्रबंधन सुधार के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना
viii. नीतियों पर राज्य अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को सलाह देना और कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करना
ix. प्रस्तावों और स्कीमों के संबंध में एसईपीसी की सिफारिशों की जानकारी देना और उन्हें विस्तृत मानदण्डों पर आधारित ढांचे के अनुसार अनुमोदित करना
x. आईसीडीएस मिशन के अंतर्गत् कार्यकलापों के संचालन के लिए संविदा आधार पर विशेषज्ञों और कार्मिकों को भाड़े पर बुलाने के संबंध में एसईपीसी की सिफारिशों की जानकारी देना और उन्हें अनुमोदित करना
xi. इस स्कीम के लक्ष्य समूह के पोषण स्तर को प्रभावित करने वाली नीतिगत जटिलताओं से जुड़े अन्य विषय

राज्य अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति (एसईपीसी) :

ईपीसी का गठन निम्नलिखित रूप में किया जाएगाः–

राज्य के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव, म. व. बा. वि	उपाध्यक्ष
प्रधान सचिव/कार्यक्रम, वित्त और योजना	सदस्य
संबंधित विभागों के प्रधान सचिव	सदस्य
राज्य मिशन निदेशक	सदस्य

एसईपीसी की माह में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी –

(i) जिलों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों/जिला कार्रवाई योजनाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना
(ii) राज्य मिशन कार्य संचालन समूह द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए राज्य कार्रवाई योजना तैयार करना
(iii) अनुमोदित राज्य कार्रवाई योजना का निष्पादन करना
(iv) बाल संबंधी परिणामों के कार्यान्वयन और उपलब्धियों की समीक्षा करना
(v) पिछड़ गए जिलों का विश्लेषण करना और सहयोग कार्रवाई करना
(vi) अंतर–सैक्टरीय समन्वयन के लिए कार्य व्यवस्था को अंतिम रूप देना
(vii) गैर सरकारी संगठनों/दानदाताओं/अन्य एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वयन करना
(viii) व्यय की समीक्षा करना
(ix) वार्षिक कार्रवाई योजना के अनुसार जिला सोसाइटियों को निधि निर्गत करना
(x) कोर रणनीतियों के प्रारुपण और कार्यन्वयन को सुगम बनाने के लिए पेशेवरों के संसाधन समूह की स्थापना करना
(xi) राज्य मिशन कार्य संचालन समूह द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य

राज्य आईसीडीएस मिशन

सबंधित राज्य महिला और बाल विकास/सामाजिक कल्याण/न्याय मंत्री राज्य आईसीडीएस मिशन के सहअध्यक्ष होंगे और सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला और बाल विकास/सामाजिक कल्याण/न्याय उसके संयोजक होंगे। राज्य आईसीडीएस मिशन के अन्य सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः–

i. बाल विकास के संबंधित विभागों जैसे स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास/जल और स्वच्छता, शहरी विकास पीएचईडी, पंचायती राज, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक, प्रारंभिक शिक्षा, योजना, वित्त के प्रभारी मंत्री;
ii. पाँच से दस सार्वजनिक प्रतिनिधि जैसे संसद सदस्य (एम), विधायक (एमएलए), जिला परिषद के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय।
iii. सरकारी प्रतिनिधि – महिला और बाल विकास, विकास आयुक्त, उपर्युक्त संगत विभागों के प्रभारी सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निपसेड मुख्यालय/क्षेत्रीय केन्द्र के प्रतिनिधि और दो या तीन जिलों के प्रतिनिधि–डीएम, डीडीसी/जैड पी (बारी बारी से)
iv. आईसीडीएस क्षेत्रीय कार्मिकों में से दो या तीन सदस्य जैसे डीपीपी/सीडीपीओ/एलएस/आगनवाड़ी कर्मी।
v. पाँच से आठ नामित गैर–सरकारी सदस्य जैसे बाल विकास पोषण, स्वास्थ्य, शैशव शिक्षा विशेषज्ञ और स्वैच्छिक एजेंसियां।

राज्य आईसीडीएस मिशन की प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी

- राज्य आईसीडीएस मिशन बाल विकास और पोषण व्यवस्था की निगरानी
- बाल विकास और पोषण से संबंधित नीतिगत विषयों पर विचार करने
- मिशन के रूप आईसीडीएस के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसके लिए बाल संबंधी परिणामों का पता लगाया जाएगा, जिसमें तीन साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति को प्रमुख संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाएगा
- अंतर–सैक्टरीय समन्वयन और संकेन्द्रण को सुगम बनाया जाएगा
- राज्य में आईसीडीएस स्कीम को प्रमुखता दिए जाने को प्रोन्नत करने के लिए अपेक्षित समर्थन उपायों के संबंध में सलाह दी जाएगी और इसी तरह के अन्य कार्य किए जाएंगे

राज्य बाल विकास सोसाइटी

संबंधित विभागों के सचिव, भारत सरकार के प्रतिनिधि – महिला और बाल विकास मंत्रालय; क्षेत्रीय निदेशक निपसेड; दो या तीन जिलों के प्रतिनिधि – डीएम/डीडीसी/जेपी (बारी बारी से) और दो या तीन संभागीय उप निदेशक आईसीडीएस/डीपीओ, आईसीडीएस कार्मिकों/जननी समितियों के चुने हुए प्रतिनिधि, चार से छह गैर सरकारी नामित विशेषज्ञ और स्वैच्छिक एजेंसियां आदि।

राज्य बाल विकास सोसाइटी के शासी निकाय को निम्नलिखित जिम्मेदारी दी जाएगी:

- आईसीडीएस मिशन के लिए वार्षिक राज्य कार्रवाई योजना और एक दीर्घकालिक कार्य योजना को स्वीकृति
- वार्षिक कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन और बाल संबंधी परिणामों की समीक्षा
- राज्य मिशन रणनीति प्रारुप ढांचे में वांछित मध्यम कालिक सुधारों का सुझाव देना
- अंतर–सैक्टरीय समन्वयन की समीक्षा
- राज्य आईसीडीएस मिशन के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा
- प्रस्तावों और स्कीमों के संबंध में कार्यकारी समिति की सिफारिशों की जानकारी देना और व्यापक मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित ढांचे के आधार पर उन्हें अनुमोदित करना
- संस्थागत सुधार संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदित करना; और
- विशेषज्ञों और कार्मिकों को भाड़े पर बुलाने के संबंध में ईपीसी की सिफारिशों को अनुमोदित करना

कायकारी समिति

राज्य बाल विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति संबंधित प्रधान सचिव/सचिव, महिला और बाल विकास/सामाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में कार्य करेगी। इसके संयोजक राज्य मिशन निदेशक होंगे और सदस्यों में बाल विकास से संबंधित सैक्टरों के सचिव/तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार के महिला और बाल विकास; और दो या तीन संभागीय उप निदेशक, आईसीडीएस/डीपीओ, आईसीडीएस कार्मिकों/जननी समितियों के चुने हुए प्रतिनिधि, और दो से तीन पेशेवर/विशेषज्ञ (दो वर्ष की अवधि के लिए बारी बारी से)।

कार्यकारी समिति की प्रत्येक महीने एक बार बैठक होगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी –

- जिलों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों/जिला कार्रवाई योजनाओं (डीएपी) से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन करना,
- कार्यान्वयन की समीक्षा और बाल संबंधी परिणामों की उपलब्धि
- अनुमोदित राज्य कार्रवाई योजना का निष्पादन
- पिछड़ गए जिलों का विश्लेषण और समर्थन कार्रवाई
- अंतर–सैक्टरीय समन्वयन हेतु काम चलाऊ व्यवस्था को अंतिम रूप देना
- शासी निकाय के निर्णयों पर की गई कार्रवाई का अनुवर्तन
- गैर सरकारी संगठनों/दानदाताओं/अन्य एजेंसियों और संगठनों के साथ समन्वयन
- वार्षिक कार्रवाई योजना के अनुसार राज्य स्तर पर कार्यक्रमों के लिए निधि की निकासी
- जिला, ब्लॉक और ग्राम आईसीडीएस मिशन सोसाइटियों को निधि की निकासी
- राज्य और जिला टीमों को नेतृत्व प्रदान करना
- अंतर सैक्टरीय और अंतर सैक्टरीय समन्वयन के लिए काम चलाऊ व्यवस्था को अंतिम रूप प्रदान करना और कोर रणनीतियों के प्रारुपण और कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए पेशेवर संसाधन समूह की स्थापना करना

जिला स्तर

जिला आईसीडीएस मिशन एक मंच प्रदान करेगा जिसमें अधिशासन की तीन शाखाएं, जिला परिषद/शहरी स्थानीय निकाय, जिला बाल विकास प्रशासन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक या आईसीडीएस मिशन सैक्टर मिलकर मिशन मोड में आईसीडीएस का संचालन करेंगे। वे विचार–विमर्श करके जिले के बाल विकास विषयों पर निर्णय लेंगे और अपनी परस्पर भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे।

खासतौर से जिला आईसीडीएस मिशन निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा:–

- एकीकृत योजना को बढ़ावा देना
- वार्षिक जिला बाल विकास योजनाओं को मंजूर करना

- जिला बाल संबंधी संकेतकों और परिणामों की समीक्षा करना और जिला विशिष्ट हस्तक्षेपों की सिफारिशें करना
- प्रगति का परिणाम आधारित मूल्यांकन करना
- अंतर–सैक्टरीय संकेन्द्रण और समन्वयन सुनिश्चित करना
- जिला के लिए वार्षिक योजनाओं की समीक्षा करना
- सुनिश्चित करना कि संस्थागत सुधार किए जाए; और
- जिला और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों और कार्मिकों को भाड़े पर बुलाने की प्रक्रिया की निगरानी करना

जिला आईसीडीएस मिशन निदेशालय

प्रत्येक जिले में एक जिला आईसीडीएस मिशन निदेशालय स्थापित किया जाएगा जो जिला आईसीडीएस मिशन को उसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन में सहयोग प्रदान करेगा। वर्तमान जिला आईसीडीएस प्रकोष्ठ की अवसंरचना और उसके मानव संसाधन को जिला आईसीडीएस मिशन निदेशालय के समग्र ढाँचे में आमंत्रित कर दिया जाएगा।

जिला आईसीडीएस मिशन निदेशालय निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा:

- जिला स्तर पर आईसीडीएस के योजना, कार्यान्वयन, प्रगति का मूल्यांकन
- बाल संबंध संकेतकों और परिणामों की समीक्षा और हस्तक्षेप के लिए सिफारिशें करना
- तीन साल तक के बच्चों की पोषण स्थिति को प्रमुख परिणाम संकेतक मानते हुए परिणाम आधारित प्रगति का मूल्यांकन करना
- सूचना समेकन और डेटा विश्लेषण के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना
- जिला बाल विकास और अनुपोषण वार्षिक और भावी योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें अनुमोदित करना
- आंगनवाड़ी केन्द्रों, परियोजनाओं का आईसीडीएस प्रत्यायन करना
- बजट और बजट विश्लेषण की समीक्षा
- परियोजनाओं, वीएचएसएनसी और आंगनवाड़ी केन्द्रों को निधि के अन्तरण को अनुमोदित करना
- जिला आईसीडीएस मिशन के कार्य संचालन को सुगम बनाना
- गैर–सरकारी संगठनों/दानदाताओं/अन्य एजेंसियों एवं संगठनों के साथ समन्वयन करना
- जिला मिशन निदेशालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित करना
- तकनीकी विशेषज्ञों को संविदा आधार पर भाड़े पर बुलाने के लिए सहयोग सुनिश्चित करना
- खरीद और जिम्मेदारी के लिए पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना; और
- राष्ट्रीय/राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य

ब्लॉक/परियोजना स्तर

ब्लॉक आईसीडीएस मिशन

ब्लॉक/परियोजना स्तर पर एक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक आईसीडीएस मिशन समिति होगी जिसका प्रमुख संबंधित पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा। संबंधित ब्लॉक का ब्लॉक विकास अधिकारी उसके सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) इस ब्लॉक आईसीडीएस मिशन समिति का संयोजक होगा। इस समिति के अन्य सदस्यों में ब्लॉक के विधायक, पार्षद जैसे सार्वजनिक प्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारी जैसे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विस्तार अधिकारी, पानी और स्वच्छता, दो या तीन आईसीडीएस पर्यवेक्षक (बारी बारी से), जिला स्तर के अधिकारी, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और दो या तीन पेशेवर विशेषज्ञ/व्यवसायी शामिल होंगे।

ब्लॉक आईसीडीएस मिशन समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी

निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगी -

- ब्लॉक में बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए ब्लॉक स्तर की बाल विकास योजनाओं को अंतिम रूप देना;
- पिछड़ गए गांवों/बस्तियों को सघन सहयोग प्रदान करके नन्हें बच्चों के पोषण की स्थिति को ध्यान में रखना;
- बस्तियों का सर्वेक्षण सुगम बनाना और ब्लॉक में वांछित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या निर्धारित करना और नन्हें शिशुओं/बच्चों की पहुंच के लिए स्थानीय स्तर की अभिनव रणनीतियां बनाना। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए स्थान निर्धारित करना

- आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थाना के लिए सहायता प्रदान करना
- गांव/ग्राम/शहरी केन्द्र आईसीडीएस मिशन योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना
- पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कर्मियों को सहयोग पर्यवेक्षण प्रदान करना है
- ग्राम/शहरी केन्द्र आईसीडीएस मिशन समिति द्वारा पोषण अनुपूरक तत्वों की खरीद को सुगम बनाना
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति और उपकरणों का उचित वितरण सुनिश्चित करना
- एनआरएचएम ग्राम स्वास्थ्य दिवस से जोड़कर एक नियत मासिक जननी बच्चा दिवस आयोजित करने को सुगम बनाना
- मासिक जननी–बच्चा दिवस में भागीदारी देना और ग्राम/शहरी केन्द्रों में विषयपरक प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहयोग देना
- आम सुनवाई, आईसीडीएस सामुदायिक प्रत्यायन व्यवस्था आदि के माध्यम से प्रतिपुष्टि आयोजित करने में सहयोग देना
- खेलकूद/पढ़ाई की सामग्रियों का स्थानीय स्तर पर योगदान करके और खेलते–खेलते पढ़ाने के कार्यकलापों के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को बच्चों के लिए सुविधाजनक बनाने के जुड़ावों को मजबूत बनाना
- एमओ, एलएचवी, एएनएम, आशा और एसएस के साथ संकेन्द्रण बनाने में सहायता करना। गांव में सिविल निर्माण कार्य की निगरानी करना
- आंगनवाड़ी कर्मियों, सामुदायिक नेताओं के लिए पूर्वाभिमुखी/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और सचल प्रशिक्षण दलों को भी संगठित करना
- सभी पणधारकों और संबद्ध विभागों के साथ समन्वयक एवं संकेन्द्रण में सहयोग करना
- मानीटरण रिपोर्ट का समेकन करना और प्रतिपुष्टि को सांझा करना
- ब्लॉक के लिए बजट बनाना और बजट विश्लेषण करना
- लेखाओं की समय से लेखापरीक्षा सुनिश्चित कराना
- ग्राम/बस्ती/शहरी केन्द्र स्तर के बजटों की परीक्षा करना
- विभिन्न कार्यकलापों के लिए संचालन संबंधी नीति और समय अनुसूची विकसित करना
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों और विशेषज्ञों को, संविदा आधार पर भाड़े पर बुलाए जाने में नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाए
- कर्मचारियों और विशेषज्ञों के लिए पर्याप्त साजो–सामान भाड़े पर मंगाना

ब्लॉक मिशन दल

- ब्लॉक आईसीडीएस मिशन समिति के अधीन कार्यकलाप संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के नेतृत्व वाले ब्लॉक आईसीडीएस मिशन दल के माध्यम से संचालित किए जाएंगे
- वह ब्लॉक/परियोजना स्तर पर आईसीडीएस स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने
- संविदा आधार पर भाड़े पर बुलाए गए पेशवरों की लघु टीम की सहायता से अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में आईसीडीएस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा

बीआईआरसी

शेष 10 प्रतिशत परियोजनाओं में ब्लॉक आईसीडीएस संसाधन केन्द्र (वीआईआरसी) की अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा। जिन ब्लॉकों में इन बीआईआरसी का प्रयोग किया जा सकता है उनका चयन जरूरत और अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा जिसका योजना संबंधित राज्य सरकार/के.शा.प्र. के प्रशासन द्वारा तैयार की जाएगी जिसे सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली ईपीसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

बीएआरसी की स्थापना का लक्ष्य

- ब्लॉक और ग्राम स्तर पर महिलाओं और बच्चों के पोषण और दीर्घजीवन पर की गई प्रगति के तेज करना है
- जिसके लिए छह माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान पर निर्भर करने को प्रभावी ढंग से प्रोन्नत किया जाएगा
- ईसीसीई कार्यकलापों को बढ़ावा देने और सभी कार्मिकों और सेवा प्रदाताओं को अनुपोषण,
- आईवाईसीएफ, ईसीसीई, प्रगति मानीटरण और अन्य संबंधित आईसीडीएस सेवाओं के संबंध में

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर खास ध्यान दिया जाएगा।

बीआईआरसी के अंतर्गत्, एक अनुपोषण हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी जो फोन पर आवश्यक सलाह सेवा प्रदान करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर हल्के और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए आपातिक आउटरीच सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगी।

बीएआरसी की प्रायोगिक पहल के दौरान निम्नलिखित दो मॉडलों को परखा जाएगाः

(i) *एनजीओ नीत मॉडलः*

- इस मॉडल में ब्लॉक स्तर पर अनुपोषण और आईवाईसीएफ एवं प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं एक चुने हुए गैर सरकारी संगठन को आउटसोर्स की जाएगी।
- चुने हुए गैर सरकारी संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह संबंधित सीडीपीओ के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संबंधित बीएआरसी के लिए अनुपोषण/आईवाईसीएफ सलाह, अनुपोषण हेल्पलाइन, आईवाईसीएफ प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं सुनिश्चित करे।

(ii) *परियोजना नीत मॉडलः*

- इस मॉडल में, वीआईआरसी की पूरी सेवाएं संबंधित आईसीडीएस परियोजना द्वारा ही संचालित की जाएंगी।
- संबंधित सीडीपीओ वीआईआरसी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए केन्द्र बिन्दु होगा जो ब्लॉक स्तर पर परियोजना कर्मचारियों की सहायता से कार्य करेगा।
- बीआईआरसी के ढांचे के अनुसार कर्मचारियों को संविदा आधार पर भाड़े पर बुलाया जाएगा

गाँव/वार्ड स्तर

वीएचएसएनसी

- गांव/वार्ड (शहरी क्षेत्र) स्तर पर वीएचएसएनसी बाल विकास और अनुपोषण सैक्टर में सभी कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होगी
- आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर निर्णय लेने में सहयोग देगी
- वीएचएसएनसी पंचायती राज संस्था की उप–समिति के रूप में कार्य करेगी

गाँव/वार्ड स्तर आईसीडीएस मिशन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नलिखित शामिल होंगी:–

- एकीकृत योजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना
- ग्रामीण बाल विकास योजनाओं को स्वीकृति देना
- ग्रामीण स्तर के बाल संबंधी संकेतकों और परिणामों की समीक्षा करना और गांव/बस्ती/परिवार विशिष्ट हस्तक्षेपों की सिफारिश करना जिसमें नन्हें बच्चों की पहुंच के लिए स्थानीय समाधान भी शामिल है
- आंगनवाड़ी केन्द्र और आईसीडीएस से जुड़ी दूसरी परियोजनाओं/कर्मियों के कार्यकलापों का मानीटरण और पर्यवेक्षण करना
- गैर सरकारी संगठनों/सीबीओ, एसएचजी, जननी समूहों/महिला मण्डलों आदि के साथ समन्वयन करना
- प्रस्तावों की जानकारी देना और विस्तृत ढांचे के आधार पर उन्हें अनुमोदित करना
- संबद्ध निधि के प्रयोग को अनुमोदित करना
- सुनिश्चित करना कि संस्थागत सुधार किए जाएं
- सेवा सुपुर्दगी, कार्यक्रम घटक और सामाजित प्रेरणा और क्षमता निर्माण संबंधी सिफारिशों को अनुमोदित करना।
- गाँव/शहरी बस्तियों में बच्चों और महिलाओं की महसूस की गई जरुरतों के आधार पर वार्षिक कार्रवाई ग्रामीण/शहरी केन्द्र
- योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करना
- बस्ती/परिवार सर्वेक्षण में सहायता करना
- छह साल तक के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना जिसमें छोटे शिशु/बच्चे की पहुँच संबंधी अभिनव रणनीतियां भी शामिल है
- कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना
- पोषण वस्तुओं की खरीद और उचित वितरण में सहयोग देना
- एनआरएचएम ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस से जोड़कर एक नियत मासिक ग्रामीण माँ–बच्चा दिवस के आयोजन को सुगम

बनाना

- आंगनवाड़ी केन्द्र को बच्चे की सुविधा के अनुकूल बनाने वहां खेलकूद/पढ़ाई–लिखाई की वस्तुएं और खेल के साथ पढ़ाई के कार्यकलापों में योगदान करना
- ग्रामीण स्तर पर आशा, एएनएम, एसएसए और अन्य संगत सेवा प्रदाताओं के साथ कवरेज प्रदान करने में सहयोग करना
- आईसीडीएस प्रत्यायन प्रणाली और समुदाय आम सुनवाइयों के माध्यम से प्रतिपुष्टि आयोजन में सहयोग करना
- रजिस्टरों और मानीटरण फारमेट के उचित रखरखाव में सहयोग करना
- कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों का मानीटरण करना और मानटरिंग रिपोर्ट तैयार करने में सफलता करना; और
- ग्रामीण/शहरी केन्द्र में सिविल निर्माण कार्य के लिए पर्यवेक्षण प्रदान करना

इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रो को एक सर्वग्राही ग्रामीण मातृत्व, बच्चा और किशोरी देखभाल केन्द्र के रूप में मजबूत किया जाएगा जिसमें पर्याप्त अवसंरचना, सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी और बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान होगा। खासतौर से आंगनवाड़ी मंच को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित बड़े कदम उठाए जाएंगेः–

- कार्यक्रमों और कार्यकलापों का विस्तार
- भौतिक अवसंरचना को मजबूत किया जाना
- मानव संसाधन को मजबूत किया जाना – दूसरे आंगनवाड़ी कर्मी की व्यवस्था
- स्वच्छ पानी और टॉयलेट की सुविधा
- तौल यंत्र
- माता और बच्चा सुरक्षा कार्ड और अन्य मानीटरण उपकरण
- रसोई का सामान और बरतन भाण्ड
- शिशु खेल–कूद और पढ़ाई की वस्तुएं
- औषधि किट

आंगनवाड़ी केन्द्रों को 'सजीव ईसीडी केन्द्रों' के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा ताकि वह स्वास्थ्य, अनुपोषण और बचपन की पढ़ाई–लिखाई का पहला ग्राम्य ठिकाना बन सके जिसमें पर्याप्त अवसंरचना और मानव संसाधन हो। आंगनवाड़ी केन्द्रों में मानव संसाधन को मजबूत करने का कार्य

- 200 अधिक भार वाले जिलों में एक अतिरिक्त आंगनवाड़ीकर्मी सह बाल विकास और अनुपोषण सलाहकार की नियुक्ति करके
- आशा (जहाँ उनकी संख्या अधिक है) को भुगतान/प्रोत्साहन पर सहयोजित करके/वृत्तिका आधार पर
- युवा स्वयंसेवकों की भर्ती करके और/अथवा
- समुदाय की महिला स्वयंसेवकों (जो 15–20 परिवारों से एक होगी) को प्रेरित करके किया जाएगा जिससे परिवारों से संपर्क बढ़ेगा और
- एक महत्वपूर्ण सम्पर्क स्थल पर सबको एक जगह मिलने के लिए प्रेरित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

पुनर्नवीकृत आईसीडीएस के अधीन आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवाएं मुख्यतः निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित होगी

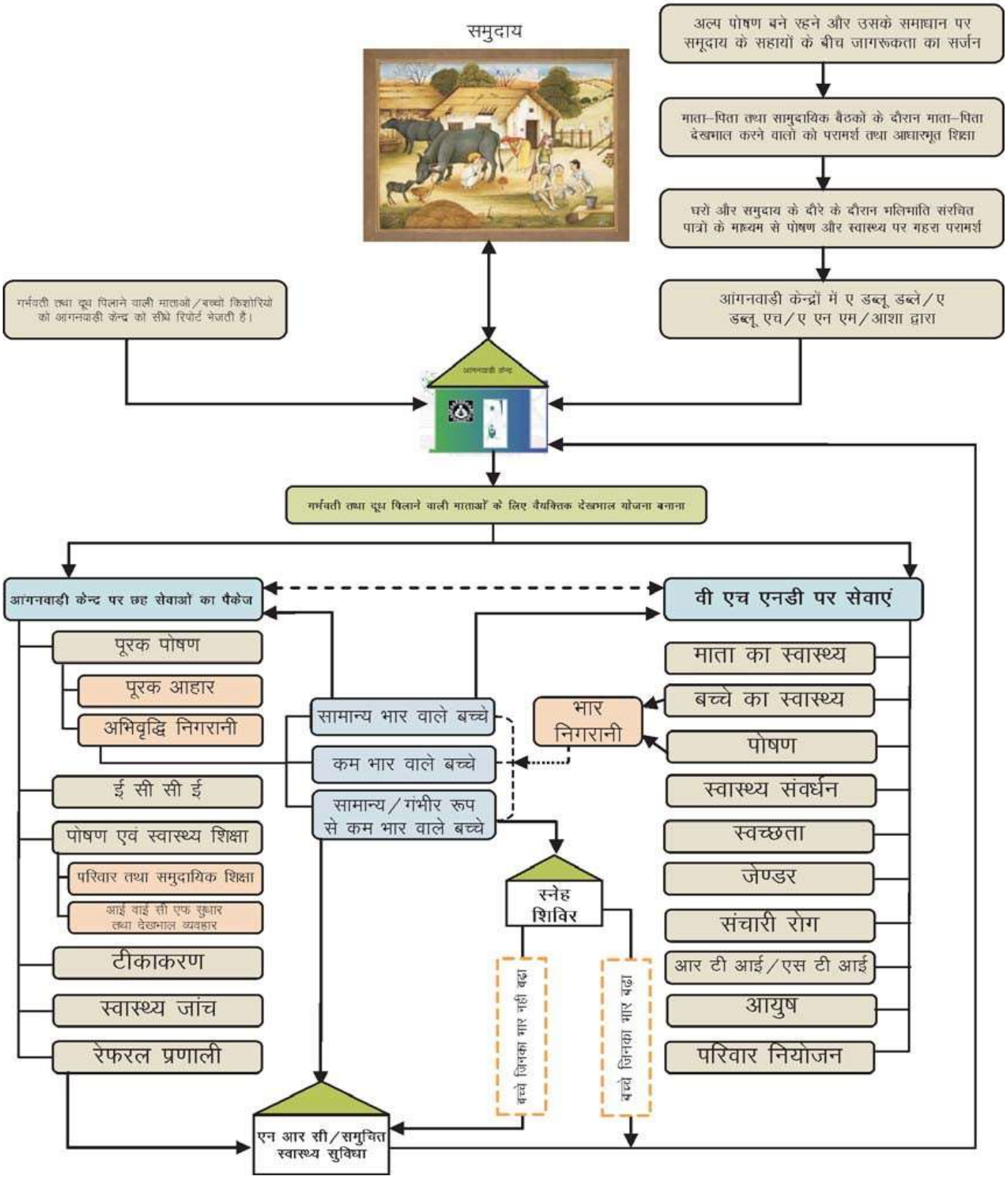

आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर का ढाँचा निम्नानुसार होगा